



GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Transport Department Noida

FORM 23

CERTIFICATE OF REGISTRATION



Registration No : UP16BZ1186 Registration Date : 17-Oct-2018
Description of Vehicle : MOTOR CAR Purpose For Printing RC : ALT
Dealer's Name & Address : SAGAR MOTORS, B-123 SEC-5, NOIDA G B NAGAR, , 141-201301
Owner Name : ANUJ KUMAR Son/wife/daughter of : PRAKASH GIRI
Full Address: (Permanent) : RAILWAY ROAD, DADRI, GAUTAM BUDDHA NAGAR, UTTAR PRADESH-203207
Full Address: (Temporary) : RAILWAY ROAD, DADRI, GAUTAM BUDDHA NAGAR-UTTAR PRADESH-203207
Fitness UpTo : 16-Oct-2033 Tax UpTo : One Time
Owner Serial No : 2

Detailed Description

Class of Vehicle : MOTOR CAR Link Vehicle No :
Ownership : INDIVIDUAL Norms : BHARAT STAGE IV
Maker's Name : TATA MOTORS LTD
Front HSRP No : Rear HSRP No :
Type of Body : SALOON Month/Year of Manuf. : 08/2018
No of Cylinders : 3 Chassis No : MAT627221JLH38133
Engine No : REVTRN03HRYK81348 Fuel : PETROL/CNG
Horse Power(BHP) : 108.54 Cubic Capacity : 1198.00
Maker's Classification : TATA NEXON XM 1.2 RTN BS Wheel base : 2498
4
Seating Cap(in all) : 5 Standing Cap : 0
Sleepar Cap : 0 Unladen Wt (kgs) : 1195
Colour : ETNA_ORANGE Laden/GV Wt (kgs) : 1605
Other Criteria : AC Fitted : YES
Vehicle Purchase As : Fully Built

Additional Particulars of all transport vehicles other than motor cabs (Gross Vehicle Weight)

By Manuf.	As Regd.	Description	Weight(In kgs)
a) Front:			
b) Rear:			
c) Other:			
d) Tandem:			

The motor vehicle above described is subject to Hypothecation in favour of M&M FINANCIAL SERVICES LIMITED, INDIRA CHOWK NEAR SUPER MARKET, GROUND FLOOR, GAJROLA, Jyotiba Phule Nagar, Uttar Pradesh-244221 w.e.f. 03-Feb-2025.

Purchase dt	: 09-Oct-2018	Sale Amt	: 698047/-
OTT Date	: 09-Oct-2018	Amount/Rcpt No	: 55844 / UP16D18100000871
TaxUpTo	: One Time	Vehicle is Govt./ Pvt.	: PRIVATE
Tax Exempted or Not	: NOT EXEMPTED	Date of Approval	: 04-Feb-2025
Other State/Transfer/Conversion/Reassign Details			
Previous Owner	: SANTOSH KUMAR SINGH	Previous RegNo	:
Old State	:	Entry Date	:
Transfer Date	: 04-Feb-2025	Conversion Date	:

This certificate is valid from 17-Oct-2018 to 16-Oct-2033

Date : 18-May-2026 11:10:29

Taxation Particulars / Advance Registration Mark Fee Details

पंजीयन अधिकारी
Signature of Registering Authority
गोविन्दगढ़
Date: 18-May-2026

Q 8716826

परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश

अपील

देश के सामाजिक आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के साथ-साथ वाहनों की संख्या में भी अत्यधिक तेजी से वृद्धि होती आ रही है परन्तु सड़कों की संख्या एवं उनकी लम्बाई/चौड़ाई तथा गुणवत्ता आदि में एक सीमा तक सुधार हुआ है, जिससे सड़क परिवहन की गति में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या में वृद्धि/वाहनों की संख्या में वृद्धि आदि के कारण से लोगों की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है। हम सब अवगत हैं कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना वर्तमान में हमारे लिये चुनौती बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में प्रदेश में लगभग 37729 दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 21227 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 24897 व्यक्ति घायल हो गए। इसी प्रकार अगस्त 2022 तक प्रदेश में लगभग 27871 दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 15213 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 19103 व्यक्ति घायल हुए।

मोटर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न सम्बन्धित विभागों द्वारा समन्वित प्रयास किये जाने और प्रभावी चेंकिंग की कार्यवाही करने के साथ-साथ जनता का भी इसमें सहयोग आवश्यक है। हमें यातायात के नियमों को अपने जीवन का अंग बनाना है। यातायात के नियमों के पालन के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो जाने से सड़क दुर्घटनाओं पर एक प्रभावी अंकुश लग सकता है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि तीन चौथाई से अधिक दुर्घटना मानवीय भूल के कारण होती है। इस प्रकार यातायात नियमों का पालन कर हम दुर्घटनाओं पर एक सीमा तक नियंत्रण लगाने में अपना अमूल्य सहयोग दे सकते हैं।

अब आप सबसे विभाग की अपील है कि—

अवश्य करें	कभी न करें
1. दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें।	1. ड्राईविंग लाइसेंस तथा गाड़ी के अन्य प्रपत्र के बिना गाड़ी न चलाएं।
2. कार चलाते समय सीट-बेल्ट अवश्य लगाएं।	2. वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें।
3. चौराहे पर लाईट रेड होने पर आगे न बढ़ें।	3. गलत ढंग से वाहन ओवरटेक न करें।
4. वाहन चलाते समय पैदल चलने वालों तथा सड़क के अन्य उपयोगकर्ताओं का ध्यान रखें।	4. खतरनाक ढंग/गति से गाड़ी न चलाएं।
5. सड़क संकेतों/चिन्हों का हमेशा पालन करें।	5. शराब पीकर गाड़ी न चलाएं।

1. परिवहन विभाग का पोर्टल (www.uptransport.upsdc.gov.in)
2. परिवहन विभाग की हेल्पलाइन का टोल-फ्री नम्बर 1800-1800-151

परिवहन विभाग द्वारा जनहित में जारी

